

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-44/2017/2862/चि0-3-17-टी0-1(83)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 28 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप


शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-34/2017/2483/चि0-3-17-टी0-1(54)/2017, दिनांक 16-08-2017 (क्रमांक-33) पर अंकित डा0 अनिल कुमार त्रिपाठी, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-7731, लेवल-3), जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद का अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।  
2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-08-2017 इस सीमा तक संशोधित पढा/समझा जाय।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-44/2017/2862 (1)/चि0-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/फैजाबाद।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।